

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या  
15/42 /17

प्रवेश तिथि  
13-06-2017

निर्णय दिनांक  
09-01-2018

1-बैंक ऑफ बडौदा शाख बहरोड तहसील बहरोड जिला अलवर जरिये प्राधिकृत अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रार्थी

**बनान**

- 1-प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र कमल कुमार शर्मा पार्टनर मैसर्स शुभम टेलीकॉम केयर ऑफ होटल शगुन रेजिडेन्सी आर टी डी सी के पीछे मिडवे नेशनल हाईवे नगर 8 बहरोड तहसील बहरोड जिला अलवर।
- 2-दीपक कुमार शर्मा पुत्र कमल कुमार शर्मा पार्टनर मैसर्स शुभम टेलीकॉम केयर ऑफ होटल शगुन रेजिडेन्सी आर टी डी सी के पीछे मिडवे नेशनल हाईवे नम्बर 8 बहरोड तहसील बहरोड जिला अलवर।
- 3-कमल कुमार शर्मा पुत्र कुन्दन लाल शर्मा मैसर्स शुभम टेलीकॉम केयर ऑफ होटल शगुन रेजिडेन्सी आर टी डी सी के पीछे मिडवे नेशनल हाईवे नम्बर 8 बहरोड तहसील बहरोड जिला अलवर।

अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

**—= निर्णय =—**



प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फार्इनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर आराजी खसरा नम्बर 624 आर टी सी मिडवे के पीछे, नेशनल हाईवे नम्बर 8 बहरोड में स्थित 1077 स्कवायर यार्ड्स जिसकी चार सीमाएँ इस प्रकार है कि—तरफ पूर्व में प्लॉट में प्लॉट बनवारीलाल—तरफ पश्चिम में मैन नेशनल हाईवे नम्बर-8,—तरफ उत्तर में प्लॉट कमलकुमार शर्मा,—तरफ दक्षिण में प्लॉट सुन्दरदत्त जायदाद गारन्टर कमलकुमार शर्मा पुत्र कुन्दनलाल शर्मा के नाम है, को रहन रखा गया था। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।


उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :-

1-रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।

2.-आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।


page 1 of 2

  
जिला मजिस्ट्रेट  
अलवर

निर्णय प्रति तहसीलदार बहरोड को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्मिलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09-01-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(राजेंद्र विशाल)  
**जिला न्यायालय, अलवर**  
page 2 of 2